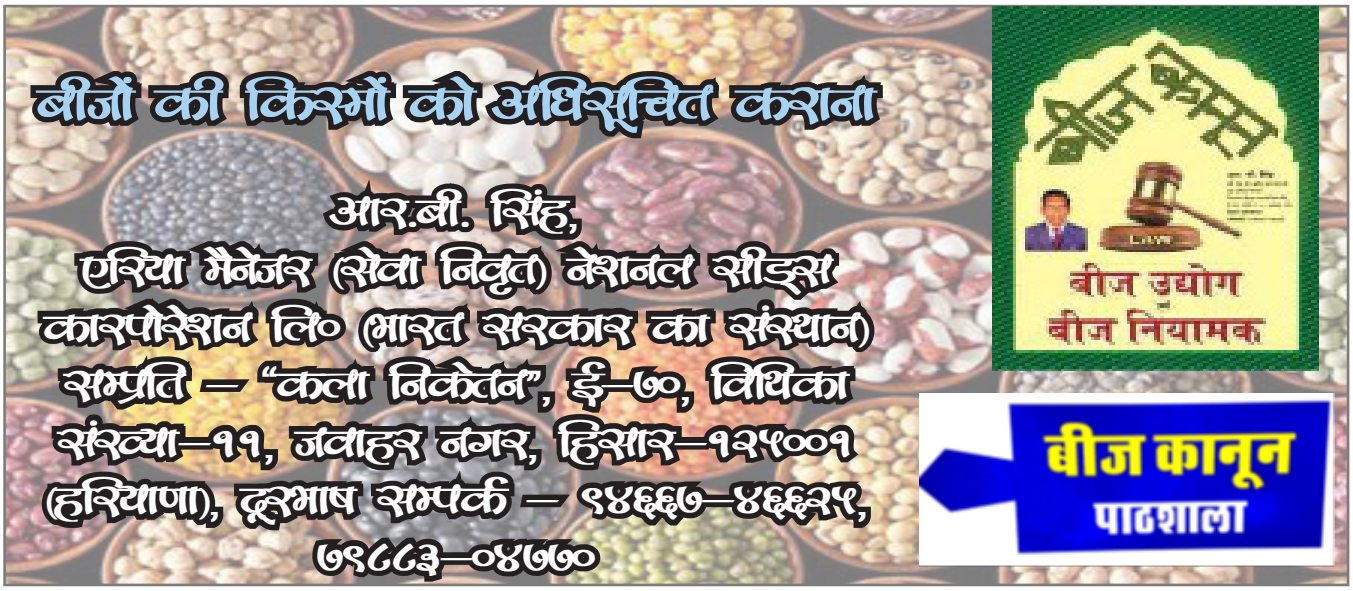

बीज अधिनियम 1966 में बनाया गया। बीज अधिनियम 1966 के प्रारम्भिक में केवल भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्मों का ही बीजोत्पादन प्रमाणीकरण एवं विपणन किया जाता था तथा विक्रय नैशनल सीड्स कारपोरेशन, केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, राज्य बीज निगमों ने किया। नेफैड, हैफेड, राजफैड, मार्कफैड भी बाद में बीज व्यापार में सम्मलित हो गई और वर्तमान में उर्वरक वितरण करने वाली सहकारी कम्पनियाँ जैसे इफको, इफाफोडका, कृभको, नैशनल फर्टिलाइजर लि०, श्रीराम कैमीकल एवं फर्टिलाइजर, चम्बल कैमीकल एवं फर्टिलाइजर कम्पनियाँ भी बीज उत्पादन प्रसारण में योगदान दे रही हैं।

80 के दशक में बीज उद्योग में निजी बीज उत्पादक कम्पनियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने बीज उत्पादन, प्रमाणीकरण एवं विपणन के अलावा फसलों की नई किस्मों का विकास किया परन्तु उनको भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं कराया गया क्योंकि अधिसूचित कराना बीज विक्रय में कोई अवरोध नहीं है। यदि किस्मों का प्रमाणित बीज विक्रय करना है तो अधिसूचना आवश्यक है अन्यथा लेबल बीज वितरण हेतु किस्मों को अधिसूचित कराना जरूरी नहीं, उपरोक्त कारण से ही निजी बीज उद्यमी अपनी किस्मों को अधिसूचित कराने में रूचि नहीं लेते हैं।

निजी क्षेत्र में किस्म अधिसूचित कराने की प्रथा :–

निजी क्षेत्र की बीज उत्पादक कम्पनियों को अपनी किस्म पंजीकृत कराने कोई रोक नहीं है। किस्मों को अधिसूचित न कराने से विकसित किस्म के विक्रय में कोई रूकावट नहीं थी इसलिए किस्में नोटीफाई नहीं हो सकी, परन्तु अब निजी बीज उत्पादक कम्पनियाँ भी अपनी कुछ किस्में अधिसूचित कराने लगी हैं। जहाँ तक मैं सूचना एकत्र कर पाया हूँ नन्दी सीड कारपोरेशन ने अपनी बाजरा किस्म नन्दी–8 (08.06.1999) तथा नन्दी–35 (15.11.2001) में अधिसूचित कराई, इसके बाद प्रोएग्रो बीज कम्पनी की बाजरे की किस्म प्रोएग्रो 9443 (02.02.2001), प्रोएग्रो 9445 (15.11.2001), प्रोएग्रो 9444 (02.02.2005) में तथा एडवान्टा कम्पनी की रेप सीड हायोला कोरल 432 (02.02.2001) अधिसूचित कराई।

निजी क्षेत्र की ये कम्पनियाँ गुजरात या दक्षिण भारतीय प्रान्तों से हैं परन्तु उत्तर भारत की और विशेषतौर पर हरियाणा के हिसार शहर की कम्पनी शक्तिवर्धक हाईब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी निम्न किस्में अधिसूचित करा ली हैं जो एक कीर्तिमान है। ध्यान रहे इस संस्था ने आर. एण्ड डी. प्रमाण–पत्र भी वर्ष 2000 में प्राप्त कर लिया था।

फसल	किस्म	अधिसूचना	दिनांक
कपास देषी संकर	KR-64	S.O. 312(E)	01.02.2013
सरसों	Albeli	S. 2015(E)	07.05.2015
नरमा	सुफलम		28.10.2019
नरमा	SVHH-139	S.O. 112 E	12.01.2015
सरसों	SVJ d 64		28.10.2019
देशी कपास	KR - 111	Minutes of 83rd meeting of committee of CSCB	15.03.2021
Clusterbean	X-10	- do -	15.03.2021
Sesamum	SVT – 222	- do -	15.03.2021
हाइब्रिड भारतीय सरसों	SVJH – 108	- do -	15.03.2021

अन्य निजी कम्पनियाँ अपनी किस्मों को अधिसूचित करा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा कम्पनियों की किस्मों को नोटीफाई कराने के लिए आगे आना चाहिए।

बीज किस्मों का पंजीकरण :–

पौधा सरंक्षण (च्संदज त्वजमबजपवद्ध हेतु भारत सरकार ने पौध प्रजाति सरंक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम वर्ष 2001 में पास किया। व्यापारी अपने द्वारा विकसित वस्तु का ट्रेड मार्क बनवाता है और उसे आई. पी.आर (प्दजमससमबजनंस त्वचमतजल त्पहीजद्ध के तहत पंजीकृत करा लेता है। बीज व्यवसायी भी अपनी विकसित किस्मों को पंजीकृत कराने का ऐसा ही प्रयास करते हैं परन्तु किस्म चोर ट्रेड मार्क चोरी नहीं करते बल्कि अन्य कम्पनियों की लोक प्रिय किस्मों का बीज अपने थैले में भरकर और अपने ट्रेड मार्क के साथ व्यवसाय करते हैं, मूल किस्म विकसित करने वाली कम्पनी अपनी किस्म का दावा भी नहीं कर सकती क्योंकि बीज चोर ने कम्पनी का ट्रेड मार्क नहीं चुराया बल्कि बीज चुराया है।

कृषि विश्वविद्यालयों, सरकारी एवं अर्धसरकारी सहकारी तथा निजी बीज उतदक कम्पनियाँ अपने बीज को PVP & FRA - Plant Variety Protection & Farmers Right Act 2001) के तहत पंजीकृत करा लेती हैं, यह पंजीकरण किस्म के अन्य लक्षणों के साथ क्छ। भी पंजीकृत हो जाता है जिससे यदि कोई किस्म चोर शरारत करे तो उसके विरूद्ध कानूनी और अदालती कार्यवाही का यह आधार बनता है। यद्यपि उत्तर भारत की निजी कम्पनियाँ किस्मों के पंजीकरण में रूचि ले रही हैं परन्तु यहाँ भी शक्तिवर्धक हाईब्रिड सीड्स प्रा०लि० कम्पनी बाजी मारती दिख रही है। अभी तक इस कम्पनी ने निम्न किस्में पंजीकृत करा ली हैं :–

फसल	किस्म	टिप्पणी
अमेरीकन कपास	अनमोल रत्न 8108	
	सुफलम	
	S.V.H.-8	
	S.V.G.-04-02	In progress
	S.V.G.-04-19	In progress
	S.V.G.-04-75	
	S.V.G.-04-2440	

देशी कपास	S.V.G.-04-45	
	S.V.-22	
	S.V.-45	
	S.V.-200	
	S.V.-202	
	S.V.317	
	S.V.-318	
	S.V.-385	
	K.R.-64	
	Mohini	
	S.V.A.-371	
	S.V.A.-145	
	S.V.A.G.M.S.-47	
	K.R.-111	In progress
सरसों	Parasmani-1+	
	Parasmani-2	
	Parasmani-8	
	Ladli	
	S.V.J.-64	
	S.V.J.-33	

अधिसूचना एवं पंजीकरण के लाभ :–

1. केवल अधिसूचित किस्मों का ही बीज प्रमाणित किया जा सकता है। आज–कल राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं ने बीजों को आकर्षक प्लास्टिक पैकेजिंग में प्रमाणित करना शुरू कर दिया है। अतः अधिसूचना का लाभ लिया जा सकता है। कर्नाटक राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था बैंगलुरू ने क्ब्भ्.32 संकर कपास का 2001 में तथा अब ब्भ्.24 एम.एफ. न्यूट्री गोल्ड चारे वाली ज्वार बीज को प्लास्टिक पैकिंग में प्रमाणित किया है।

2. नया बीज अधिनियम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना है उसके तहत अब सभी किस्मों का 100ः बीज पंजीकृत हो कर ही ब्रांड नाम से बिकेगा – यानि पहले किस्मों का पंजीकरण होगा। जो किस्में पहले से अधिसूचित हैं वे पंजीकृत किस्में मान ली जायेंगी अन्यथा अन्य कम्पनियों को अपना बीज ब्रांड किस्म के रूप में विक्रय हेतु पंजीकरण कराने में दो सीजन का समय लगेगा। अतः जिन कम्पनियों की किस्में पहले ही च्च्ट – थ्त्। के तहत पंजीकृत हैं उन्हें परेशानी नहीं होगी।

3. पौध प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनिय 2001 के अन्तर्गत किस्म का ट्रेड मार्क रजिस्टर्ड नहीं होता बल्कि बीज गुणों सहित पंजीकृत होता है। अतः न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किस्म चोर को चुनौती दे सकते हैं।

4. आज कल हर कोई ऐसा बीज उत्पादक जो रातों–रात माला–माल होना चाहते हैं वे किस्म चोर व्यक्ति रोज नई किस्म निकाल कर उसे “रिसर्च किस्म” कह कर बीज विक्रय करते हैं, यह कोई किस्म नहीं हैं, यह तथ्य कृषि विभाग भी जाना है परन्तु खुद के सिर के बाल नोचने के अलावा कुछ कार्यवाही नहीं कर पाता है। अतः ऐसे व्यक्तियों के कारण निजी बीज उत्पादकों को कृषि विभाग में शाख नहीं है परन्तु किस्मों को अधिसूचित कराने और पंजीकृत कराने से कृषि विभाग के मनोमस्तिष्क में सकारात्मक भाव आते हैं और शाख का तो मोल है। अतः अधिक बीज उत्पादक कम्पनियों को किस्म पंजीकृत करानी चाहिए।